

आदेश

उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष के अन्तर्गत संस्था प्रथम काउन्सिल फॉर वलनेरेबल चिल्ड्रेन के पत्र दिनांक 15.12.2015 के माध्यम से लखनऊ तथा कानपुर जनपदों में 132 उपेक्षित बालिकाओं की शिक्षा को रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष से स्पोन्सर किये जाने हेतु संस्था के प्रस्ताव में अंकित बालिकाओं की सूची जो कि स्कूलों द्वारा उपलब्ध करायी गयी है को रू0 9,56,500/- के आर्थिक सहायता (फीस) उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या 101/60-3-2016-64(सा0)/2015 दिनांक 08 फरवरी 2016 द्वारा निर्देश प्राप्त हुये हैं।

अतः प्राप्त स्वीकृति के कम में जनपद लखनऊ व कानपुर के आठ विद्यालयों को रू0 955945.0 (रू0 नौ लाख पचपन हजार नौ सो पैंतालीस मात्र) जिनका विस्तृत विवरण संलग्न है को सहायता धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार उनके खाते में भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

क्र.सं.	जनपद	स्कूल का नाम	वर्ष	विद्यार्थियों की संख्या	धनराशि रू0 में	बैंक का नाम	एकाउन्ट नं0	IFSC Code
1	लखनऊ	1-लखनऊ एकडमी हाई स्कूल।	2015-16	21	34200	यूनियन बैंक आफ इण्डिया	A388702010054821	UBINO538876
			2016-17		87750			
		2-रघुनाथ प्रसार मेमोरियल स्कूल।	2015-16	10	14300	बैंक आफ इण्डिया	A753110110003184	BKID0007531
			2016-17		46000			
		3-टैगोर मेमोरियल स्कूल।	2015-16	24	33440	विजया बैंक	A71240030000337	VIJB0007124
			2016-17		89200			
4-टी.डी. गर्ल्स इण्टर कालेज।	2015-16	12	32350	देना बैंक	A113510025189	BKDNG721135		
	2016-17		103500					
5-प्रागसिद्ध मानदेवरी स्कूल।	2015-16	27	104450	सिण्डिकेट बैंक	A85092010007254	SYNB0008509		
	2016-17		319100					
6-श्री वर्धमान विद्या मन्दिर इण्टर कालेज।	2015-16	1	2300	आर्या बैंक	A153110011000376	ANDB0001531		
	2016-17		7400					
2	कानपुर	1-वलजीत मेमोरियल एजुकेशन सेंटर।	2015-16	31	20925	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	A1941134039	CBIN0281367
			2016-17		44950			
		2-बाल विकास प्राथमिक विद्यालय।	2015-16	6	4620	पंजाब एण्ड सिण्ड बैंक	A04831000403309	PSIB0000483
2016-17		11460						
		कुल		132	955945			

इस निमित्त होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-45 अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण -02-समाज कल्याण-आयोजनागत-महिला कल्याण-10-उत्तर प्रदेश महिला सम्मान कोष-42 अन्य के अन्तर्गत किया जायेगा।

(नीलिमा श्रीवास्तव)
विहित प्राधिकारी
उ0प्र0रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष।